

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक- २५०११८

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु नाला निर्माण मद की योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹12.813 लाख (बारह लाख एकासी हजार तीन सौ रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

नगर आयुक्त, पटना नगर निगम के पत्रांक- 12316, दिनांक- 01.12.2017 द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड सं०- 46 में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना को स्वीकृति प्रदान करने एवं राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त अनुरोध एवं विभागीय राज्यादेश सं०- १० दिनांक- २५०११८ के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के कार्यान्वयन के लिए स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹12.813 लाख (बारह लाख एकासी हजार तीन सौ रु०) मात्र नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद से निम्नवत् आवंटित की जाती हैं:-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	नगर निगम, पटना	वार्ड सं०- 46 अंतर्गत महात्मा गाँधी नगर में 2M/1 से 2H/37 तक भू-गर्भ नाला का निर्माण कार्य।	12.81300	12.81300

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹12.813 लाख (बारह लाख एकासी हजार तीन सौ रु०) मात्र।

2. आवंटित कुल ₹12.813 लाख (बारह लाख एकासी हजार तीन सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना होर्ने, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- ४२८,

दिनांक— 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम— 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०— 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496 / वि(2), दिनांक— 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०— 573, दिनांक— 16.01.1975 एवं एम 04—15/2009—9736, दिनांक— 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ङ) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

5. आवंटित राशि ₹12.813 लाख (बारह लाख एकासी हजार तीन सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या—48 मुख्य शीर्ष— 2215—जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष— 02—मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष— 191—नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष—0102—नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड— 48-2215021910102, विषय शीर्ष— 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी।

6. राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०— 7355 वि(2), दिनांक— 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-

- (i) योजना का कार्यान्वयन पटना नगर निगम, पटना द्वारा किया जाएगा।
- (ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय—समय पर किया जाएगा।
- (iii) स्वीकृत निवेदित की अविस्तरी के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कर्यान्वयित करसकी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच कर्म पूर्व से अन्तक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण—लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश स्रो.

CF 25-1-18
CF 25-1-18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक—२ब०/न्या०—१९—२५/२०१६ | ०|

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक—२५०१।१।८

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी— 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेष कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

CF 25-1-18

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*** अनौपचारिक
रूप से प्राप्तमर्शित**

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- २५.११.१४

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु नाला निर्माण मद की योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹12.813 लाख (बारह लाख एकासी हजार तीन सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

नगर आयुक्त, पटना नगर निगम के पत्रांक- 12316, दिनांक- 01.12.2017 द्वारा पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड सं०- 46 में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना को स्वीकृति प्रदान करने एवं राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त अनुरोध के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में पटना नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजना के कार्यान्वयन के लिए स्तम्भ- 5 के अनुरूप कुल ₹12.813 लाख (बारह लाख एकासी हजार तीन सौ रु०) मात्र नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद से निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

(राशि लाख में)				
क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1.	नगर निगम, पटना	वार्ड सं०- 46 अंतर्गत महात्मा गाँधी नगर में 2M/1 से 2H/37 तक भू-गर्भ नाला का निर्माण कार्य।	12.81300	12.81300

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹12.813 लाख (बारह लाख एकासी हजार तीन सौ रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

2 स्वीकृत कुल ₹12.813 लाख (बारह लाख एकासी हजार तीन सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना होर्गे, जिनके द्वारा वित्तीय

वर्ष 2017–18 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०— 2561, दिनांक— 17.04.98 एवं पत्रांक— 428, दिनांक— 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। राशि का संधारण पी०एल० खाता में किया जाएगा।

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम— 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०— 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496 / वि(2), दिनांक— 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०— 573, दिनांक— 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक— 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ङ) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

5. स्वीकृत राशि ₹12.813 लाख (बारह लाख एकासी हजार तीन सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या—48 मुख्य शीर्ष— 2215—जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष— 02—मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष— 191—नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष—0102—नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड— 48-2215021910102, विषय शीर्ष— 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी।

6. राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०— 7355 वि(2), दिनांक— 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है—

- (i) योजना का कार्यान्वयन पटना नगर निगम, पटना द्वारा किया जाएगा।
- (ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय—समय पर किया जाएगा।
- (iii) स्वीकृत निधि की आविस्तरण के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वयन कर्त्तव्यी जाकेरी। यह घटना में स्तुता जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच कर्ष पूर्व से अवतक किसी भी स्ट्रेसी से कर्दू कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण—लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेलरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—२ब०/न्या०-१९-२५/२०१६ के पृष्ठ सं०—८/टि० पर दिनांक—१५.१.१५ को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०—१/टि० पर दिनांक—१५.१.१५ को प्राप्त है।

11. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

१५.१.१८

सरकार के विशेष सचिव।

शापांक—२ब०/न्या०-१९-२५/२०१६ | ०० /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक—१५.१.१८

प्रतिलिपि:— प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बुडा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी— 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेष कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग पटना (०५ प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१५.१.१८
सरकार के विशेष सचिव।